

भारत सरकार  
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं 833  
उत्तर देने की तारीख 21.11.2019

एनएसआईसी सीएमडी की नियुक्ति

833. श्री टी० आर० वी० एस० रमेश:

क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) के सीएमडी के रूप में एक गैर-शिक्षण व्यक्ति की नियुक्ति की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है
- (ख) क्या मंत्रालय ने एनएसआईसी के सीएमडी की नियुक्ति के लिए सरकारी उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) की अनदेखी की है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं
- (ग) एनएसआईसी के सीएमडी हेतु मानक चयन प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है
- (घ) क्या एसएमई हेतु रणनीतिक निगम में एक वर्ष से अधिक समय से कोई अध्यक्ष नहीं था जबकि एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है
- (ङ) पात्र अभ्यर्थियों के चयन और साक्षात्कार करने के बावजूद एनएसआईसी के सीएमडी के रूप में किसी का चयन नहीं करने के क्या कारण हैं
- (च) इस प्रक्रिया में कितना व्यय शामिल है और सरकारी संसाधनों को बचाने के लिए पहले ऐसा निर्णय नहीं ले पाने का क्या कारण है; और
- (छ) क्या मंत्रालय ने विगत वर्ष में एनएसआईसी के पूर्णकालिक सीएमडी के रूप में कार्य क्षेत्र की विशेषज्ञता के बिना कभी किसी व्यक्ति की नियुक्ति की है और पीईएसबी की अनदेखी की है और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री  
(श्री नितिन गडकरी )

(क) से (छ): अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (सीएमडी), राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) की नियुक्ति निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जा रही है। सीएमडी, एनएसआईसी का पद दिनांक 01.10.2018 को रिक्त हो गया था। अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (सीएमडी), राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) के चयन के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में बोर्ड स्तरीय नियुक्तियां संबंधी दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट मानक चयन प्रक्रिया का अनुपालन किया जा रहा है। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) ने एनएसआईसी के नियमित सीएमडी के चयन के लिए दिनांक 17.05.2018 तथा 17.07.2018 को दो बार साक्षात्कार आयोजित किया था। पीईएसबी ने दिनांक 17.07.2018 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त में यह सिफारिश की थी कि प्रशासनिक मंत्रालय आगे कार्रवाई की समुचित प्रक्रिया चुन सकता है। तदनुसार, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) के अनुमोदन से, अध्यक्ष, पीईएसबी की अध्यक्षता में सीएमडी, एनएसआईसी के पद के नये पदधारी के चयन के लिए तलाश-सह-चयन समिति (एससीएससी) का गठन किया गया। एससीएससी ने दिनांक 12.07.2019 को साक्षात्कार आयोजित किया। समिति को उक्त पद के लिए कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिला तथा अधिक उम्मीदवारों का साक्षात्कार करने का निर्णय लिया। इसी बीच, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने अपने दिनांक 23.10.2019 के पत्र के तहत श्री विजयेन्द्र, संयुक्त सचिव, रक्षा उत्पादन विभाग को केंद्रीय स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत अपर सचिव के रैंक एवं वेतन में अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (सीएमडी), राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि. (एनएसआईसी) के पद पर नियुक्ति के लिए एसीसी के अनुमोदन को संसूचित किया है।

निगम की निर्बाध कार्यप्रणाली के लिए एसीसी के अनुमोदन से, सीएमडी, एनएसआईसी के अतिरिक्त प्रभार को इस मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपा गया। समाचार पत्रों में प्रकाशित रिक्ति के विज्ञापन के व्यय के अलावा, कोई अन्य व्यय नहीं किया गया है।

\*\*\*\*\*